



Case No. 106/2025

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

(Summons)

फाइल सं.: NCST/DEV-5787/JH/409/2025-RO-RNC/RU-IV

श्रीमती रेशमा रमेशन

पुलिस अधीक्षक

जिला पलामू -

पुलिस अधीक्षक कार्यालय

मेदिनीनगर, पलामू -822101.

Email Id: sp-pal@nic.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा के समक्ष दिनांक **31/10/2025** को **16:00 HRS**, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबन्धित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलों का संदर्भ :-

- संदर्भ 1
- (i) अभ्यावेदक श्री गंगा सिंह, पिताहश्री भगवान सिंह -, ग्राम पोस्टचियांकी -, टोला - कुसुमेटाड़, वार्ड नं .01, प्रखण्डसदर मेदिनीनगर -, जिलासे (झारखंड) पलामू - प्राप्त अभ्यावेदन"खतियानी जमीन को जबरदस्ती अवैध रूप से कब्जा" के संबंध में।
 - (ii) NCST RO, Ranchi Notice dated 08.09.2025

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 22/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

[Signature]
22.10.25

न्यायालय अधिकारी

Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Government of India
Lok Nayak, Bhawan, New Delhi-110003

मोहर

